(161)

संख्या : 981 /IV(2)–श0वि0–11–95(सा0)/10

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक 27 सितम्बर, 2011**

विषयः शहरी विकास निदेशालय के कार्यालय भवन निर्माण के प्रथम चरण हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 717/IV(2)–श0वि0–11–95(सा0)/10 दिनांक 20–7–2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शहरी विकास निदेशालय के कार्यालय भवन निर्माण हेतु प्रथम चरण के कार्य के लिए प्रस्तुत आगणन ₹ 11.01 लाख की लागत के विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत औचित्यपूर्ण पाये गये ₹ 5.51 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उपरोक्त के क्रम में आपके पत्र संख्या 785/श0वि0नि0/2003–04/निदे0भवन–310/11 दिनांक 30–7–2011 के क्रम में उक्त आगणन का पुनः तकनीकी परीक्षण कर टी0ए0सी0 द्वारा ₹ 8.67 लाख की धनराशि औचित्यपूर्ण पायी गयी। अतः शहरी विकास निदेशालय के कार्यालय भवन के निर्माण के प्रथम चरण कार्य हेतु शासनादेश संख्या 717/IV(2)–श0वि0–11–95(सा0)/10 दिनांक 20–7–2011 से प्रदत्त प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ₹ 5.51 लाख को संशोधित करते हुए ₹ 8.67 लाख (₹ आठ लाख सड़सठ हजार मात्र) किये जाने तथा अवशेष धनराशि **₹ 3.16 लाख (₹ तीन लाख सोलह हजार मात्र)** धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) शासनादेश संख्या 717/IV(2)–श0वि0–11–95(सा0)/10 दिनांक 20–7–2011 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं

है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृत नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

(iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(iv) मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनोदश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

(v) उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा, जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्यावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नही किया जायेगा।

(vi) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(vii) संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित निर्माण ऐजेन्सी के अभियंता/निदेशक, शहरी विकास पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।

(viii) निर्माण इकाई से कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475/XXXVII(7)/2008 दिनांक 15–12–2008 की व्यवस्थानुसार मानक अनुबन्ध निष्पादित करा लिया जायेगा।

(ix) स्वीकृत की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति के विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2012 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–051–निर्माण– 03–शहरी विकास निदेशालय का भवन निर्माण–24–वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0– 421/XXVII(2)/2011, दिनांक 21 सितम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।